

182 P 2

न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर संभाग
ज्ञापन

SP.04157998
27-10-10

कमांक 100 /रीडर 110
प्रति

जबलपुर दिनांक 22-10-10

सचिव
राजस्व मण्डल 2008-1574-2/2010
मध्यप्रदेश
मोती महल
ग्वालियर



पंजीयत डाक से

कमांक 04157998
पति-पुत्र द्वारा आज
को प्राप्त

27-10-10
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विषय पुनर्विलोकन अनुमति-पुनर्विलो प्र क 77/बी-121/01-02- पक्षकार तेजीलाल चौधरी विरुद्ध महादेव

000


इस न्यायालय में प्रचलित पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 77/बी-121/01-02 पक्षकार तेजीलाल चौधरी तहसील व जिला जबलपुर विरुद्ध महादेव पुनर्विलोकन अनुमति हेतु उक्त प्रकरण सहित इस न्यायालय का मूल प्रकरण एवं अधीनस्थ न्यायालय के निम्नानुसार प्रकरण संलग्न कर प्रेषित है:-

क	न्यायालय का नाम	पक्षकार	प्रकरण कमांक	पारित आदेश दिनांक
1	अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग	तेजीलाल चौधरी विरुद्ध महादेव	अपील क 38/अ-70/01-02	17-10-01
2	अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग	:-	पुनर्विलोकन प्र क 77/बी-121/01-02	06-10-10
3	अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर	:-	12/अ-70/99-00	30-06-01
4	नायब तहसीलदार नजूल जबलपुर		1/अ-70/99-00	11-07-2000

सहपत्र चार प्रकरण

1/10

23/10/10



अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
जबलपुर संभाग

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - विविध 1574-एक/10

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-9-16	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं आवेदक म0प्र0 शासन के विद्वान अधिवक्ता तथा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । विचारोपरांत अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक 100/रीडर/10 दिनांक 22-10-10 द्वारा प्रकरण क्रमांक 38/अ-70/01-02 में पारित आदेश दिनांक 17-10-01 के पुनरावलोकन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि से संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रकरण में विधिवत आदेश पारित करें ।</p> <p>3- इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किया जाये ।</p>	 सदस्य

